**FORM NO.111**

फर्द अहकाम

**(नियम 26)**

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

मनोज कुमार बनाम सुनिल कुमार वगै0

किस्म मुकदमा:– इजराय मुकदमा नम्बर:- 13/2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 03.11.2021 | वकील डिक्रीदार श्री अनिल यादव एड0 ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2021 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 16.12.2021 को पेश हो।<br><br>दिलीप सिंह<br>उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर | 3464<br>3/11/21 |
| 12.03.2022 | पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार भू.अ. श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 442/एल.आर./22 दिनांक 18.02.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय की पालना जरिये नामान्तकरण संख्या 720 दिनांक 12.01.2022 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Dilip Singh<br>Date: 2022.03.22 12:40:10 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>(दिलीप सिंह)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>श्रीमाधोपुर (सीकर) | नामान्तकरण संख्या 720<br>12-1-2022 |